

OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER PHED DN. RAJGARH, ALWAR

No.

Date:- 11-10-2017

To,

**Nodal Officer
FCA, Aranya Bhawan,
Jaipur**

Sub.:- Reply for Diversion of 0.05 ha of forest land in favor of Executive Engineer PHED Dn. Rajgarh, Alwar for construction of Water Tank & Pipe line, Village Sonkhari Proposal No. FP/RJ/WATER/15016/2015

Ref.:- Letter No. F 14() 2015/FCA/PCCF/EDS II dated 03.10.2017

Sir,

In Reference to above subjected letter proposal for the Diversion of **0.05** ha of forest land for construction of Water Tank & Pipe line, Village Sonkhari has been examined in the office of Nodal Officer FCA, Aranya Bhawan, Jaipur with some observations and directed to convey with necessary rectifications.

In compliance of above letter the point wise reply for the following observation submitted as under:-

Sr.no	Observations	Reply
1.	बिन्दु संख्या 1 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 A1 (Vi) में प्रस्ताव में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पानी का स्रोत क्या रहेगा। टंकी से पानी कहाँ व कैसे आयेगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है।	उक्त योजना में पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि योजना के जल स्रोत दो नलकूप है जो वन क्षेत्र से बाहर है। इन नलकूपों से पाइप लाइन के जरिये प्रस्तावित क्षेत्र में निर्माणाधीन टंकी में पानी भरा जायेगा। फिर दूसरी वितरण लाइन से कस्बे में पानी सप्लाई होगा। वन क्षेत्र में आने वाले टंकी व पाइप लाइन के क्षेत्र को स्वीकृति में शामिल किया गया है।
2.	बिन्दु संख्या 2 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 B-1 में 2 प्रस्तावों में सैद्धान्तिक स्वीकृति वर्ष 2016 में आना अंकित किया गया है उक्त प्रस्तावों की पालना अब तक क्यों नहीं की गई कारण स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।	यह हमारे जोन के नहीं होने के कारण सूचना प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सका।

3.	बिन्दु संख्या 3 की पालना पूर्ण।	पहले से पालना पूर्ण।
4.	बिन्दु संख्या 4 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 B 2.4 में Component wise breakup में पानी की पाइप लाइन के क्षेत्र में आवागमन हेतु रास्ते को शामिल नहीं किया गया जबकि प्रस्तावित जी०एल०आर० वनसीमा सं 100 मीटर/50 मीटर दूरी पर है। यदि इसमें कोई विद्युत लाइन डाली जानी है तो उसका क्षेत्र भी शामिल किया जाना प्रस्तावित है।	टंकी पर आवागमन हेतु अलग से रास्ते की आवश्यकता नहीं है और ना ही विद्युत लाइन की आवश्यकता होगी।
5.	बिन्दु संख्या 5 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 C (iii) में Kml file बिन्दु संख्या 4 के अनुसार संशोधित की जानी है।	बिन्दु संख्या 4 के अनुसार Kml file में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
6.	बिन्दु संख्या 6 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 C (iii) में टोपोशीट में बिन्दु संख्या 4 के अनुसार संशोधित की जानी है।	बिन्दु संख्या 4 के अनुसार Topo sheet में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
7.	बिन्दु संख्या 7 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 C के (iv) में Total Station/DGPS से किये गये सर्वे के मानचित्र में बिन्दु संख्या 4 के अनुसार संशोधित की जानी है।	बिन्दु संख्या 4 के अनुसार Total Station/DGPS से किये गये सर्वे के मानचित्र में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
8.	बिन्दु संख्या 8 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 D-(i) में प्रस्तावित वन भूमि के विकल्प के संदर्भ में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।	टंकी निर्माण हेतु स्थल का चयन पूर्व निर्मित जल स्रोतों एवं Altitude के अनुसार तथा न्यूनतम पाइप लाइन के आधार पर वितरण व्यवस्था को ध्यान में रखकर किया जाता है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर Alternet suitable size के चयन का विकल्प नहीं था।
9.	बिन्दु संख्या 9 की पालना आवश्यक नहीं।	आवश्यक नहीं।
10.	बिन्दु संख्या 10 की पालना पूर्ण।	पहले से पालना पूर्ण।
11.	बिन्दु संख्या 11 की पालना अपूर्ण। U/A को निम्न Certificate/information upload करनी है।	
	1. Under taking of amount of NPV/CA & others amount, minimum forest land, Area Calculation sheet not in prescribed format.	Complete prescribed format enclosed
	2. Complete Project detail.	Complete prescribed format enclosed
	3. Land Details (jamabandi) including Khasra Map.	Complete prescribed format enclosed

Submitted for necessary action and approval please.

Enclosed: - As above.

Yours,

(Dharmendra Kumar Soni)

आधिकाधिक अधिकारी

वन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग

खण्ड राजगढ़ कोड स. 10743